

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 163 /2020


दिनांक 23.11.2020

श्रीमती ज्योति सिंह मीणा (RJ0774), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर) को दिनांक 01.12.2020 से 24.12.2020 तक 24 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 एवं 25.12.2020 से 01.01.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री विनोद कुमार गुप्ता (RJ0661), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर) को श्रीमती ज्योति सिंह मीणा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री विनोद कुमार गुप्ता (RJ0661), जिन्होंने अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.र(4)/57/2013/ 5215

दिनांक 23.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-1 को उनके पत्रांक 6051 दिनांक 12.11.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती ज्योति सिंह मीणा (RJ0774), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर)।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-14, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर)।
5. श्री विनोद कुमार गुप्ता (RJ0661), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर)।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-13, जयपुर महानगर-1, (मुख्यालय-सांगानेर)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार